2025: सीजीएचसी:34236
प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय,बिलासपुर

रिट याचिका. (अनुच्छेद 227) सं.224/2024

1. मोहम्मद.सलीम, पिता स्वर्गीय मोहम्मद सईद, 47 वर्ष, निवासी चान्तिडीह, विज्ञान महाविद्यालय निवासी बगल में, बिलासपुर, तहसील और जिला बिलासपुर (छ.ग.)
2. मोहम्मद. कलीम (मृतक)
विधिक प्रतिनिधि 2 (ए) श्रीमती मदीना बानो, पति स्वर्गीय मोहम्मदकलीम के द्वारा , आयु लगभग 51 वर्ष, निवासी वार्ड सं.41, साइंस कॉलेज निवासी पास, सीपत रोड, चांटीडीह, बिलासपुर, जिला बिलासपुर (छ.ग.)
2(ख) श्रीमती सदफ परवीन,पिता स्वर्गीय मोहम्मदकलीम, पति आफताब वारसी, लगभग 26 वर्ष की आयु, निवासी वार्ड सं.15, शितला मंदिर वार्ड, जिला गरियाबंद (छ.ग.), मुख्तारनामा धारक श्रीमती मदीना बानो पति स्वर्गीय मोहम्मदकलीम, लगभग 51 वर्ष निवासी सहनावाज बिल्डिंग, वार्ड सं.41, साइंस कॉलेज के पास, सीपत रोड, चांटीडीह, बिलासपुर, जिला बिलासपुर (छ.ग.)
2(ग) निखत परवीन, पति सहनावाज, लगभग 32 वर्ष की आयु, निवासी सहनावाज बिल्डिंग, वार्ड सं.41, साइंस कॉलेज निवासी पास, सीपत रोड, चांटीडीह, बिलासपुर, जिला बिलासपुर (छ.ग.)
2(घ) नशरीन परवीन, पिता दिवंगत श्री मोहम्मद कलीम, लगभग 24 वर्ष की आयु, निवासी सहनावाज बिल्डिंग, वार्ड सं.41, साइंस कॉलेज निवासी पास, सीपत रोड, चांटीडीह, बिलासपुर, जिला बिलासपुर (छ.ग.)
3. सलमा बेगम, पिता स्वर्गीय मोहम्मद सईद, 35 वर्ष, निवासी चान्तिडीह, साइंस कॉलेज, बिलासपुर, तहसील और जिला बिलासपुर (छ.ग.) (बचाव साक्षी 1ए से 1सी)

---याचिकाकर्तागण

बनाम

1. मोहम्मदवकील, पिता स्वर्गीय बसीर मोहम्मद, 42 वर्ष,
2. मोहम्मदसाकिल @सगीर, पिता स्वर्गीय बसीर मोहम्मद, 48 वर्ष, दोनों निवासी चांतिडीह, बिलासपुर, तह और जिलाबिलासपुर (छ.ग.)
3. कादर मोहम्मद @कल्लू, पिता स्वर्गीय शेख दद्दु @दाउद, निवासी चान्तिडीह, बिलासपुर, तहसील और जिला बिलासपुर (सी. जी.)

अब्दुल कलाम (मृत्यु के बाद से)
मोहम्मद शफीक (मृत्यु के बाद से)
रफीक अहमद (मृत्यु के बाद से)
शेख वाहिद (मृत्यु के बाद से)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. जाहिदा बेगम, पति स्वर्गीय अब्दुल मजीद, 65 वर्ष,

5. शेख अजीज, पिता स्वर्गीय अब्दुल मजीद, 45 वर्ष,

6. सरवत जानो, पिता स्वर्गीय अब्दुल मजीद, 40 वर्ष,

7. शेख फिरोज, पिता स्वर्गीय अब्दुल माजिद, 43 वर्ष,

8. शेख परवेज, पिता स्वर्गीय अब्दुल माजिद, 39 वर्ष, उत्तरवादी सं 4 से 8 निवासी भिलाई, जिला दुर्ग (सी. जी.)

9. श्रीमती. कुलसुम बेगम, पति मोहम्मद यूसुफ, 60 वर्ष, निवासी कर्बला, जिला बिलासपुर (सी. जी.)

10.श्रीमती. तासकीन अख्तर, पति श्री बी. ए. खान, 45 वर्ष, पत्नी राजेंद्र नगर, बिलासपुर, तहसील और जिला बिलासपुर (सी. जी.)

11 पितासमीमुल कलाम @समीम, पिता फिरोज खान, 42 वर्ष, निवासी कर्बला चौक, बिलासपुर, तहसील और जिला बिलासपुर (सी. जी.)

12.श्रीमती. गुरमीत कौर, पति दिवंगत जोगिंदर सिंह टुटेजा, 70 वर्ष,

13.हरपाल सिंह टुटेजा, पिता स्वर्गीय जोगिंदर सिंह टुटेजा, 40 वर्ष,

14.सुमित पाल टुटेजा, पिता स्वर्गीय जोगिंदर सिंह टुटेजा, 25 वर्ष,

15.रिंकी सिंह टुटेजा, पिता स्वर्गीय जोगिंदर सिंह टुटेजा, 32 वर्ष, उत्तरवादी सं.12 से 15 निवासी टिकरापारा, तहसील और जिला बिलासपुर (सी. जी.)

16.बाबुलाल, पिता बंशीधर अग्रवाल, चिरमिरी, तहसील मनेन्द्रगढ़, जिला सरगुजा (सी. जी.)

17.श्रीमती. जमुना बाई, पिता उमरलाल अग्रवाल, दामाद चिरमिरी, तहसील मनेन्द्रगढ़, जिला सरगुजा (सी. जी.)

18. अफजल मस्जिद समिति,मुत्तवाली अफजल मस्जिद समिति के द्वारा, चांटीडीह, बिलासपुर, तहसील तथा जिला बिलासपुर (सी. जी.)

19.राधेश्याम सराफ, पिता लखन लाल, पिता गोंडपारा, बिलासपुर, तहसील और जिला बिलासपुर (सी. जी.)

20.मोहम्मद.शेख आरिफ, माता सकीला बानो, पिता शेख सलीम, 35 वर्ष,

21.अंजुम बेगम, माता सकीला बानो, पति सुहेल खान, 32 वर्ष, उत्तरवादी सं .20 और 21 निवासी गौशाला काली मंदिर निवासी पास, रामायण चौक, बिलासपुर, तहसील और जिला बिलासपुर (सी. जी.)

22.शेख आसिफ, माता सकीला बानो, पिता शेख सलीम, 28 वर्ष,

23.शेख आदिल, माता सकीला बानो, पिता शेख सलीम, उत्तरवादी सं.22 और 23 निवासी पुरानी बस्ती, शहडोल (एम. पी.)

24.अकिला बानो, पिता स्वर्गीय बसीर मोहम्मद, 50 वर्ष, निवासी करबाला, तहसील तथा जिला बिलासपुर (छ.ग)

25.मोहम्मदअकील @बाबूजी, पिता स्वर्गीय बसीर, 58 वर्ष (लापता और उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं है)

26.छत्तीसगढ़ राज्य, कलेक्टर के द्वारा , बिलासपुर

(प्रतिवादीगण)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

---उत्तरवादीगण

याचिकाकर्तागण हेतु :-- श्री प्रफुल्ल भारत वरिष्ठ अधिवक्ता ,श्री केशवदेवांगन, अधिवक्ता।

उत्तरवादी संख्या 1 और 2 हेतु : --श्री प्रीतम तिवारी, अधिवक्ता।

उत्तरवादी सं.26/राज्य हेतु : --श्री शरद मिश्रा, पैनल अधिवक्ता।

माननीय श्री संजय के. अग्रवाल,न्यायाधीश

पीठ पर आदेश

18/07/2025

1. इस रिट याचिका में शामिल संक्षिप्त प्रश्न यह है कि क्या रिमांड न्यायालय, द्वितीय अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित रिमांड आदेश की शर्तों से परे, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (संक्षेप में, 'सीपीसी') के आदेश 7 नियम 14 के तहत आवेदन पर विचार कर सकता है?

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. यहां के याचिकाकर्ताओं/प्रतिवादी क्रमांक 1ए से 1सी ने सिविल वाद क्रमांक 33ए/1999 में चतुर्थ सिविल न्यायाधीश वर्ग-□, बिलासपुर द्वारा पारित दिनांक 22-1-2024 के आदेश पर प्रश्न उठाते हुए यह रिट याचिका दायर की है, जिसके द्वारा वादी/प्रतिवादी क्रमांक 1 और 2 द्वारा सीपीसी के आदेश 7 नियम 14 के तहत दायर आवेदन को रु 300/- की लागत के अधीन अनुमति दी गई है।

3. वादीगण का वाद विचारण न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था, जिसे प्रथम अपीलीय न्यायालय ने भी यथावत रखा था, लेकिन वादीगण द्वारा दायर दूसरी अपील में, इस अदालत ने अपने निर्णय और डिक्री दिनांक 2-1-2023 द्वारा वाद पर डिक्री कर दी और मामले को निम्नलिखित निर्देशों के अधीन वापस भेज दिया:---------

"51. तदनुसार, अपील आंशिक रूप से स्वीकार किए जाने योग्य है और स्वीकार की जाती है तथा विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और डिक्री, जिसकी प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई थी और प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दायर की गई क्रॉस आपत्ति को अपास्त किया जाता है।मामले को निम्नलिखित निर्देशों के साथ विवाद्यक क्रमांक ५ को छोड़कर नए सिरे से निर्णय लेने के लिए विद्वान विचारण न्यायालय को वापस भेज जाता है:---

(1) विद्वान विचारण न्यायालय, वादी द्वारा सी.पी.सी. के आदेश 41 नियम 27 के अंतर्गत आवेदन के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों को अभिलेख में लेने की अनुमति देगा। प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत आवेदन में मांगे गए संशोधन को भी सम्मिलित करने की अनुमति दी जाएगी।प्रतिवादियों को, यदि उन्हें ऐसा करने की

सलाह दी जाए, तो अतिरिक्त दस्तावेज प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता दी जाएगी और साथ ही उन्हें अपने लिखित बयान में संशोधन आवेदन प्रस्तुत करने की भी स्वतंत्रता दी जाएगी।अभिलेख में लिए गए दस्तावेजों का अर्थ यह नहीं है कि इस न्यायालय ने दस्तावेजों की सत्यता और वास्तविकता की जाँच कर ली है और यह विचारण न्यायालय का कार्य है कि वह इसकी जाँच करे और इस पर निर्णय करे।

(2) चूँकि इस न्यायालय ने यह निष्कर्ष दिया है कि दान के संबंध में विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किया गया निष्कर्ष सिद्ध नहीं होता, अतः पूर्ववर्ती वाद प्र. पी/8 एवं पी/9 का निर्णय एवं डिक्री वादी पर बाध्यकारी नहीं है।प्रतिवादीगण विधि के अनुसार साक्ष्य दर्ज करके दान के तर्क को नए सिरे से साबित करने के लिए स्वतंत्र हैं

(3) चूँकि इस न्यायालय ने यह निष्कर्ष भी दर्ज किया है कि उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 58 के तहत इस न्यायालय द्वारा तहरीनामा को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। मामले के प्रतिप्रेषण के बाद अभिलेख पर रखे गए साक्ष्य एवं सामग्री के अनुसार विचारण न्यायालय द्वारा इसके प्रभाव पर विचार किया जाएगा।

(4) चूंकि मामला काफी पुराना है, इसलिए यह निर्देश दिया जाता है कि विद्वान विचारण न्यायालय प्रथम उपस्थिति की दिनांक से डेढ़ वर्ष की बाहरी सीमा के भीतर विचारण पूरा करने का प्रयास करेगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(5) पक्षकारों को 2 मार्च, 2023 को विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है

(6) अभिलेख तत्काल भेजा जाए।

(7) इस न्यायालय की रजिस्ट्री को यह भी निर्देश दिया जाता है कि चूंकि यह पुराना मामला है, इसलिए मामले के अभिलेख को स्कैन करके सुरक्षित रखा जाए और मूल अभिलेख के साथ स्कैन किया गया अभिलेख भी विचारण न्यायालय को भेजा जाए।"

4. इसके बाद, वादीगण ने सीपीसी के आदेश 7 नियम 14 के तहत आवेदन दायर किया, जिसे विचारण न्यायालय ने स्वीकार कर लिया और प्रतिवादियों ने इसका विरोध किया कि विचारण न्यायालय द्वितीय अपीलीय न्यायालय के आदेश से आगे नहीं जा सकता और उन दस्तावेजों को स्वीकार नहीं कर सकता जिन्हें इस रिट याचिका में चुनौती दी गई है।

5. श्री प्रफुल्ल भरत, याचिकाकर्ताओं/प्रतिवादी संख्या 1ए से 1सी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील, प्रस्तुत करते है कि विचारण न्यायालय द्वितीय अपीलीय न्यायालय द्वारा किए गए सीमित रिमांड के अनुसरण में वाद की सुनवाई कर रहा है, इसलिए रिमांड न्यायालय द्वितीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशों से परे नहीं जा सकता है और इस तरह, आक्षेपित आदेश को अपास्त किया जा सकता है, जिसका विरोध प्रतिवादी संख्या 1 और 2/वादी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री प्रीतम तिवारी द्वारा किया जाता है।

6. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है तथा उनके द्वारा ऊपर दिए गए प्रतिद्वन्द्वी निवेदनों पर विचार किया है तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का भी अत्यंत सावधानी से अध्ययन किया है।

7. निस्संदेह, जैसा कि द्वितीय अपीलीय न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के कंडिका 51 में दर्शाया गया है, द्वितीय अपीलीय न्यायालय ने मामले को एक विशिष्ट निर्देश के साथ विचारण न्यायालय को वापस भेज दिया है और वादी द्वारा दायर संशोधन के लिए नए आवेदन पर विचार करने के लिए विचारण न्यायालय को कोई और निर्देश नहीं है, इसलिए, विचारण न्यायालय संशोधन के लिए आवेदन की स्वीकृति नहीं दे सकता था।इस संबंध में, रुखमानंद बनाम दीनबंध 1 के मामले में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय पर ध्यान दिया जा सकता है, जिसमें मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने निम्नानुसार निर्णय दिया है:–

"यह स्थापित विधि है कि जब किसी विचारण को कुछ विशिष्ट निर्देशों के साथ निर्णय के लिए वापस भेजा जाता है, तो रिमांड के बाद विचारण न्यायालय का अधिकार क्षेत्र रिमांड के आदेश की शर्तों पर निर्भर करता है और विचारण न्यायालय रिमांड आदेश में निर्दिष्ट मामलों के अलावा अन्य मामलों पर विचार नहीं कर सकता है, या अपनी सीमा से बाहर आने वाले प्रश्नों में प्रवेश नहीं कर सकता है। इसलिए, विद्वान विचारण न्यायालय के न्यायाधीश के पास तर्क में संशोधन की अनुमति देने का कोई अधिकार नहीं था जो रिमांड आदेश के दायरे से बाहर था।इसलिए, विद्वान विचारण न्यायालय के न्यायाधीश के उन अभिवचनों में संशोधन की अनुमति देने का कोई अधिकार नहीं था, जो रिमांड आदेश के दायरे से बाहर था।"

8. **रुखमानंद (सुप्रा)** में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय के मद्देनजर, रिमांड न्यायालय द्वितीय अपीलीय न्यायालय के आदेशों/विशिष्ट निर्देशों से आगे नहीं जा सकता था और सीपीसी के आदेश 7 नियम 14 के तहत आवेदन पर विचार नहीं कर सकता था। तदनुसार, सिविल वाद संख्या 33ए/1999 में चतुर्थ सिविल न्यायाधीश वर्ग–1, बिलासपुर द्वारा पारित दिनांक 22–1–2024 के आक्षेपित आदेश को अपास्त किया जाता है और विचारण न्यायालय को द्वितीय अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित रिमांड आदेश के अनुसार सख्ती से आगे बढ़ने का निर्देश दिया जाता है।

9. उपरोक्त अवलोकन और निर्देश के साथ, रिट याचिका का अंतिम रूप से निराकरण किया जाता है, लेकिन लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाता है।

सही/–

(संजय के. अग्रवाल)

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः *हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु* ***निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।***

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur